

कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक सेक्टर-19,
नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर


छत्तीसगढ़ भू-जल (प्रबंधन और विनियमन) विधेयक 2022 पर
आपत्ति और सुझाव आमंत्रण की सूचना

छत्तीसगढ़ शासन भू-जल के युक्तियुक्त प्रबंधन एवं उसके उपयोग पर जनहितकारी नियंत्रण के लिए छत्तीसगढ़ भू-जल (प्रबंधन और विनियमन) विधेयक 2022 के माध्यम से नियम बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। तद्हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त नागरिकों तथा इस अधिनियम से प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों को यह सूचना प्रदान की जाती है कि उक्त मसौदा अधिनियम को उस तारीख से 15 दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद विचार किया जायेगा, जिस तारीख को इस अधिनियम की प्रतियां/विधेयक का मसौदा छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग की अधिकारिक वेबसाइट <http://www.cgwrd.in> पर उपलब्ध कर दिया जाता है।

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हो तो, मुख्य अभियंता (प्रबोधन), कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर को स्पीड पोस्ट के माध्यम से अथवा enc@cgwrd.in या osd.encwrd@gmail.com पर ई-मेल से प्रेषित किये जा सकते हैं।

उपर्युक्त विनिर्दिष्ट समय अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

नवा रायपुर, छत्तीसगढ़


प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़,
शिवनाथ भवन, नवा रायपुर,
अटल नगर, जिला-रायपुर